



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-08.04.2025

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना रोहनिया में आर्म्स एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 500/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना रोहनिया, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-336/2007 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त राजनाथ उर्फ नाथे राजभर पुत्र महाजन राजभर निवासी दरेखू थाना रोहनिया जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक रोहनिया व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-08.04.2025 को माननीय न्यायालय SPL CJM जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त राजनाथ उर्फ नाथे राजभर उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 500/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।